

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-34/2024 स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated

15 MAY 2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सीनीयर तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलमिक) के पद पर पदोन्नति।

Subject:-Promotion to the post of Senior Technical Officer (Ophthalmic) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 06.05.2026 को सीनीयर तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलमिक) के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलमिक) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सीनीयर तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलमिक) के वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -7 पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Senior Technical Officer (Ophthalmic) held on 06.05.2026 and its acceptance by the Competent Authority, the following Technical Officer (Ophthalmic) is promoted to the post of Senior Technical Officer (Ophthalmic) in Level-07 of the pay matrix from the date she assumes the charge of the post of Senior Technical Officer (Ophthalmic):-

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Department
01	सुश्री सुप्रिया मिश्रा Ms. Supriya Mishra	अनुसूचित जाति/SC	अनारक्षित/UR	डॉ. आर.पी.सी/Dr. RPC

इनकी वरिष्ठता सीनीयर तकनीकी अधिकारी (ऑपथेलमिक) के पद पर तकनीकी अधिकारी का पद रिक्त होने की तिथि अर्थात दिनांक 15.05.2026 से प्रभावी होगी।

Her seniority in the post of Senior Technical Officer (Ophthalmic) will be effective from date of vacancy i.e. 15.05.2026.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Cont. on -2-

इनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Her services is transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. She can be asked to perform duties in shifts also.

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगीं। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे सतौषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाए किसी भी समय बिना नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जायेगीं।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory services failing which her services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगीं।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute



(राज कुमार भोला / RAJ KUMAR BHOLA)
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

सुश्री सुप्रिया मिश्रा, तकनीकी अधिकारी, ऑपथेलमिक डॉ. आर. पी. सी
Ms. Supriya Mishra, Technical Officer (Ophthalmic), Dr.RPC
द्वारा/Thr.- प्रो. एच. सी. फ, विभाग डॉ. आर. पी. सी/Prof. In-charge, Dr. RPC

प्रतिलिपि:

- 1 चीफ, डॉ. आर. पी. सी/The Chief, Dr. RPC
- 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-डॉ. आर. पी. सी/ Sr.Administrative Officer(Dr. RPC)
- 3 स्थापना अनुभाग (डॉ. आर. पी. सी)/Establishment Section – (Dr. RPC)
- 4 लेखा विभाग, डॉ. आर. पी. सी/ Accounts Section, Dr. RPC
- 5 ए.सी.आर सेल/ एस.सी./एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग/ई. एच, एस/लीगर सेल
ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell/EHS/Legal Cell